>

Title: Need to restore the quota of wheat for APL category in Rajasthan.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, सामान्य वर्ग के लोगों को एपीएल श्रेणी में माना गया है। वित्त वर्ष 2007-08 के लिए भारत सरकार ने एपीएल परिवारों हेतु राजस्थान राज्य को 16,959 मी0 टन गेहूं का आबंटन किया है तथा चावल का आबंटन शून्य किया गया है। इस योजना में जून, 2005 तक 1,07,96,720 राशन कार्डों की संख्या है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एपीएल परिवारों के लिए गेहूं रूपये 6.30 पैसे प्रति किलो ग्राम प्रतिमाह 35 किलोग्राम प्रति परिवार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राज्य के एपीएल परिवारों में से मात्र 5 प्रतिशत परिवारों हेतु ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, शेष 95 प्रतिशत परिवारों के सामने खाद्यान्न की समस्या पैदा हो रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा एपीएल परिवारों के लिए 1,57,682 मी0 टन गेहूं प्रतिमाह राज्य को आबंटित किया जा रहा था, किंतु जून, 2006 से इसमें भारी कटौती करते हुए रज्य का आबंटन मात्र 16959 मी0 टन गेहूं प्रतिमाह कर दिया गया है, जो कि एपीएल परिवारों की संख्या में अनुपात में अत्यधिक कम है तथा केन्द्र सरकार से राज्य के द्वारा इस आबंटन को बढ़ाने हेतु बार बार निवेदन किया जाता रहा है। साथ ही टी.पी.डी.एस के अंतर्गत राज्य को विभिन्न योजनाओं में आबंटित गेहूं एफ.सी.आई. द्वारा गत कई माह से आयातित गेहूं जो लाल रंग का व छोटे दाने है, को उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न जिलों में उपभोक्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने इस गेहूं के वितरण के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है और अच्छी किस्म का गेहूं उपलब्ध कराने की मांग की है।

इस वर्ष मार्च के प्रथम पखवाड़े के दौरान रबी की तैयार फसल में ओलावृष्टि और तूफान से भारी तबाही हुई है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में सभी श्रेणी के किसान इससे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा तथा गेहूं के मंहगे भाव को देखते हुए राजस्थान एपीएलल परिवारों के लिए जून, 2008 से पूर्व की स्थिति के अनुसार प्रतिमाह 1,57,682 मी0 टन बढ़िया क्वालिटी का खाने योग्य गेहूं भिजवाने की व्यवस्था करायें।